

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :- 108/2019

दायर तारीख 21.05.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रार्थी

बनाम

01. लादू पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
02. कस्तूरी पुत्री हजारी जाति गुर्जर निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
03. राधा पुत्री रोड़ा जाति गुर्जर निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
04. शंकरी पुत्री रोड़ा जाति गुर्जर निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
05. केला पिता हीरा रेगर निवासी पंचानपुरा।
06. कन्हैयालाल पिता पन्नालाल मेघवाल सा0 फतहनगर (आरोली) तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।

..... विपक्षीगण

उपस्थित :- पैरोकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

दिनांक 24.05.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियाँ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राखोली पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ के खाता संख्या 134, 122, 172, 176 में आराजी नम्बर 426/366, 436/366, 458/366, 460/366 रकबा 5-00, रकबा 4-17, रकबा 3-00, रकबा 2-02 बीघा किस्म बा0 तू0, बा0 तू0, बा0 तू0, बा0 प्र0 खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 426/366, 436/366, 458/366, 460/366 रकबा 5-00, रकबा 4-17, रकबा 3-00, रकबा 2-02 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लट्टा में आराजी नम्बर अंकित नहीं होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्टा में तरमीम की जा सकेगी। पटवारी हल्का राखोली की आराजी नं0 426/366, 436/366, 458/366, 460/366 रकबा 5-00, रकबा 4-17, रकबा 3-00, रकबा 2-02 बीघा भूमि लट्टा नक्शा में तरमीम करने से आराजी नम्बर 420/366 की तरमीम प्रभावित होने से बाद सुनवाई तरमीम का आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षी केला पिता हीरा रेगर निवासी पंचानपुरा तहसील बिजौलियाँ ने उपस्थित जिन्होंने जवाब प्रस्तुत कर मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने में मुझे कोई आपति नहीं हैं एवं न ही भविष्य में कोई आपति की जावेगी तरमीम कराना फरमावें।

प्रकरण का DILRMP के तहत निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु विपक्षी केला पिता हीरा रेगर निवासी पंचानपुरा तहसील बिजौलियाँ ने सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि मौजा राखोली पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ के खाता संख्या 134, 122, 172, 176 में आराजी नम्बर 426/366, 436/366, 458/366, 460/366 रकबा 5-00, रकबा 4-17, रकबा 3-00, रकबा 2-02 बीघा किस्म बा0 तू0, बा0 तू0, बा0 तू0, बा0 प्र0 खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 426/366, 436/366, 458/366, 460/366 रकबा 5-00, रकबा 4-17, रकबा 3-00, रकबा 2-02 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लट्टा में आराजी नम्बर अंकित नहीं होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्टा में तरमीम की जा सकेगी। पटवारी हल्का राखोली की आराजी नं0 426/366, 436/366, 458/366, 460/366 रकबा 5-00, रकबा 4-17, रकबा 3-00, रकबा 2-02 बीघा भूमि लट्टा नक्शा में तरमीम करने से आराजी नम्बर 420/366 की तरमीम प्रभावित होने से तहसीलदार तरमीम की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 24.05.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ